(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 103 **नई दिल्ली,** 9 जूलाई 2005

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एततद्वारा, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास को अपना व्यापक प्रशुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु संलग्न आदेश के अनुसार समय-सीमा में विस्तार प्रदान करता है ।

(अ.ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

<u>प्रकरण सं. टीएएमपी /35/2004 -जेएनपीटी</u>

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास — आवेदक

<u>आदेश</u>

(जून 2005 के 15 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) के दरमान में निर्धारित सभी पोत संबंधी प्रभारों की उच्चतम दरों में 10% की कमी करते हुए 10 अगस्त 2004 को एक आदेश पारित किया था । इस आदेश में, इस प्राधिकरण ने, अन्य बातों के साथ, पोत संबंधी प्रभारों के अतिरिक्त, जेएनपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता को 31 मार्च 2005 तक बढ़ाई थी और जेएनपीटी को निदेश दिया था कि वह अपने प्रशुल्क की सामान्य समीक्षा के लिए 31 जनवरी 2005 तक अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल कर दे और यह निर्णय लिया था कि यदि जेएनपीटी से 31 जनवरी 2005 तक व्यापक प्रशुल्क प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है तो वह दरमान की एक पक्षीय समीक्षा करेगा ।

2. जेएनपीटी ने दिनांक 31 जनवरी 2005 के अपने संदेश में, निर्धारित समय सीमा के भीतर कथित प्रस्ताव दाखिल करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए, व्यापक प्रशुल्क प्रस्ताव 31 मार्च 2005 तक दाखिल करने हेतु समय सीमा में विस्तार मांगा और इस प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह एक पक्षीय कार्रवाई आरम्भ न करे । जेएनपीटी द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार किया गया और जेएनपीटी के दरमान की एक पक्षीय समीक्षा 30 अप्रैल 2005 तक स्थगित करने हेतु 15 मार्च 2005 को एक आदेश पारित किया गया जिसमें जेएनपीटी को यह निदेश भी दिया गया कि वह अपने प्रशुल्क की सामान्य समीक्षा के संशोधित प्रस्ताव 30 अप्रैल 2005 तक दाखिल कर दे ।

3. अब जेएनपीटी ने 29 अप्रैल 2005 के अपने संदेश के द्वारा, प्रशुल्क निर्धारण के लिए अपना व्यापक प्रस्ताव 31 जुलाई 2005 तक प्रस्तुत करने हेतु पुन: समय सीमा बढ़ाने की मांग की है और समय सीमा में इस विस्तार के लिए निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किए हैं:

(i) जेएनपीटी वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रूप देने में व्यस्त है और इस कार्य में मई 2005 का पूरा माह लग सकता है ।

(ii) जेएनपीटी के न्यासी मंडल द्वारा जेएनपीटी लेखा स्वीकार कर देने के बाद वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए वास्तविक परिणामों को लागत विवरणियों में जेएनपीटी शामिल कर सकता है ।

4. अपने दरमान की समीक्षा के लिए व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु जेएनपीटी को यह प्राधिकरण 31 जुलाई 2005 तक का समय प्रदान करने का निर्णय लेता है । प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा में और अधिक विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा और यदि निर्धारित समय-सीमा में प्रस्ताव दाखिल नहीं किया जाता है तो यह प्राधिकरण समुचित कार्रवाई करेगा ।

(अ.ल.बोंगिरवार)

अध्यक्ष